Compound/Recurve bow with accessories आपूर्ति के संबंध में अन्य आवश्यक विशेष नियम व शर्ते

1. निविदादाता को बंद लिफाफा (अ, ब एवं स) में निविदा प्रस्तुत करना होगा।
2. लिफाफ ''अ'' में शासन के वाणिज्यिक कर कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण, पेन कार्ड एवं लोक निर्माण विभाग में एकल पद्वति से पंजीयन की छायाप्रति एवं अमानत राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
3. लिफाफा ''ब'' में दर सूची प्रस्तुत करना होगा। लिफाफा ''अ'' और ''ब'' को बंदकर लिफाफा ''स'' में प्रस्तुत करना होगा।
4. लिफाफा ''अ'' पहले खोला जाएगा, जिसमें निविदा की शर्तो को पूर्ण करने एवं वैद्य पाये जाने पर ही लिफाफा ''ब'' खोला जाएगा।
5. एक निविदाकार का एक ही निविदा स्वीकार किया जाएगा।
6. निविदादाता को अमानत राशि का किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों से जारी डिमाण्ड ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जो कि कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति के पक्ष में जारी हुआ हो, को लिफाफा ''अ'' के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7. दरें स्वीकृत होने पर तथा आदेश के मान से निर्धारित अवधि के अन्दर सामग्री की पूर्ति नहीं होने पर अमानत राशि राजसात की जावेगी, तथा दिये गए आदेश की सामग्री मूल्य पर 10% प्रतिशत पेनाल्टी लगायी जायेगी, जो बकाया भू–राजस्व के रूप में वसूल किया जावेगा।
8. कार्यादेश प्रदाय करने के पश्चात् निर्धारित समय में निर्दिष्ट स्थान पर सामग्री पहुंचाकर देना होगा, परिवहन हेतु किसी भी राशि का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
9. आपूर्ति होने पर सामग्री के कमी, क्षति या हानि के लिए प्रदायकर्ता से अनुपातिक राशि की कटौती की जा सकेगी।
10. आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की संख्या/मात्रा निर्धारित करने का अधिकार इस कार्यालय को होगा। जिन फर्म/ठेकेदारों की निविदा अस्वीकार की जावेगी। उन्हें पृथक से कोई सूचना नहीं दी जाएगी।
11. आदेश जारी होने के पश्चात् निर्धारित अवधि मे सामग्री पूर्ति किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा आदेश स्वमेव समाप्त (निरस्त) मानी जावेगी।
12. निविदा प्रकिया के दौरान कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति जिला बीजापुर द्वारा ऐसी कोई भी शर्तें निर्धारित की जा सकती है जो शासन हित में हो। यह शर्त समस्त निविदाकर्ता को मान्य एवं उनके लिए बंधनकारी होगा।
13. निविदा प्रकिया में सामाग्रियों की संख्या में कमी/वृद्वि/निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति, जिला–बीजापुर को होगा।
14. किसी भी विवाद की स्थिति में कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्माण समिति, जिला–बीजापुर का निर्णय अंतिम एवं सभी के लिए बंधनकारी होगा।

कलेक्टर एवं अध्यक्ष
जिला निर्माण समिति
जिला बीजापुर